२२/०२/२०२१ पत्रावरील प्रस्तुत । वरील उत्तर
पक्ष आला. वरहल सुनी उत्तर
पत्रावरील पू अलकवर कीर्तावर
इतिहासेतर का आलोकात दिला

→

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.03 16:58:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया
गया। प्रार्थी ने अपने अभिवचनों के
आधार पर कथन है कि विवादित आराजी
प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है तथा
पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों एवं की
पुत्र के बराबर हक हिस्सा प्राप्त
किये जाने का प्रावधान है जो मूल
वाद में साक्ष्य सबूत से तय किया
जाना संभव है तब तक प्रश्नगत
आराजी सम्पत्ति की यथास्थिति कायम
रखा जाना उचित है क्योंकि प्रथम
दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन
प्रार्थिया के पक्ष में जाता है।
अतः प्रार्थिया का प्र.प. 212 R.T.A
स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण
को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाता है कि मौजा [illegible] की खतौनी
खेवट 46 पर अंकित आराजी नम्बर
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
26, 27, 28, 31, 32, 33, 59, 60,
163, 164, 166, 313, 314, कुल
किता 22, कुल रकबा 6.14 हैक्टेयर
एवं खाता संख्या 11 की आ.नं.
366 मी. रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 16:58:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

→

से संबंधित आवश्यक रेकार्ड की प्रमाणित
कागज सब उसका किसी तरह का
परिवर्तन न तो स्वयं ने न अन्य
किसी के माध्यम से करावें, किसी
केस न्यायालय विचाराधीन
अनुसार आप पत्रावली फैसला
शुल्क देकर संलग्न सूचना का
की जावे

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 16:58:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner